भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

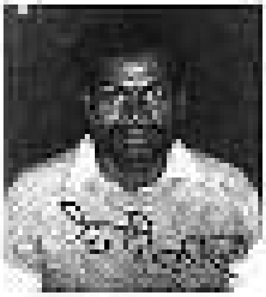

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : बिजनौर
3. ग्राम : देवामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) : भूमि खसरा संख्या–53

For Sahara [illegible] Private Limited

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 607274

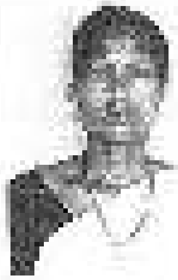

विवरण–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	भूमि
2.	[illegible]	:	[illegible]
3.	ग्राम	:	[illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण [illegible]	:	भूमि खसरा संख्या–[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

5.	नगर की इकाई	: हेक्टेयर
6.	निर्णीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.0418 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: भूमि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	भवन/कूप/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 0.52,800/-
11.	मालियत	: रू0 2,46,500/-
12.	स्टाम्प	: रू0 60,000/-

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

10000 रु. भारत INDIA Rs. 10000

INDIA NON JUDICIAL

चौहद्दी

[illegible]

पूरब : [illegible] -32
पश्चिम : [illegible] -31, 32
उत्तर : [illegible] -31
दक्षिण : [illegible] -37

[illegible]

पूरब : [illegible] -16
पश्चिम : [illegible] -15
उत्तर : [illegible] -17
दक्षिण : [illegible] -01

[illegible]

प्रथम पक्ष की संख्या-03	द्वितीय पक्ष की संख्या 01
विक्रेतागण का विवरण	क्रेता का विवरण
(1) मिथलेश देवी पत्नी स्व0 नन्दकिशोर प्रसाद, निवासिनी- कमौली, वाराणसी व (2) श्रीमती रेखा पत्नी सुनील कुमार व (3) श्रीमती सुरेखा पत्नी सचिन दास, पुत्रीगण नन्द प्रसाद, निवासीगण-ग्राम [illegible] [illegible], तहसील व जिला वाराणसी।	[illegible] [illegible] एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री [illegible] सिंह पुत्र स्व0 गंगा चरन सिंह रजिस्टर्ड आफिस-1101 [illegible], [illegible] मार्ग, नई दिल्ली, [illegible] [illegible], [illegible] सिटी, 15 [illegible] [illegible] मार्ग लखनऊ

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) मिथलेश देवी पत्नी स्व0 नन्दकिशोर प्रसाद, निवासिनी- कमौली, वाराणसी व (2) श्रीमती रेखा पत्नी सुनील कुमार व (3) श्रीमती सुरेखा पत्नी सचिन दास, पुत्रीगण नन्द प्रसाद, निवासिनीगण-ग्राम [illegible] [illegible]-[illegible], तहसील व जिला वाराणसी जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, तथा [illegible] [illegible] एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री [illegible] सिंह पुत्र स्व0 गंगा चरन सिंह रजिस्टर्ड आफिस-1101 [illegible], [illegible] मार्ग, नई दिल्ली, [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible] सिटी, 15-स्टेट [illegible] मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

अधिग्रहण योजना पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेतागण ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में पक्ष क्रेता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेतागण द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव व अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

उक्त आराजी आज विक्रेतागण के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और वो कहीं विक्रय, हिबा, [illegible], कुर्की, व रहननामा आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब चूंकि खुद विक्रेतागण के उक्त आराजी रकबा उपरोक्त बाबत कि विक्रेतागण का अपना सम्पूर्ण हिस्सा है जो पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना कोई किसी दाँव व हक के खुद राजी व रजामन्दी बिना किसी दबाव के, बदले मुबलिग रू० 8,56,941/- (रुपया आठ लाख छप्पन हजार नौ सौ इकतालिस मात्र) में उपरोक्त क्रेता को बय बनाई किया, और कुल विक्रय धनराशि [illegible] द्वारा क्रेता

खरीदार से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व बतौर मालिकाना आराजी मजकूर पर आज की तारीख से क्रेता खरीदार का कब्जा मौके पर करा दिया, अब विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण का कोई हक व वास्ता उक्त आराजी मजकूर व विक्रय उपरोक्त से क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी मजकूर पूरी अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकार से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं शिकस्त, शिकायत, नामफेर, कुर्की व कायमत आदि से बाधित पाई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी व क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण से व विक्रेतागण की अन्य जायदाद चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवे, इसमें विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता खरीदार को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवे।

आराजी उपरोक्त में कृषि कार्य होता है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआँ व इमारत आदि नहीं है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आराजी अर्जनाधीन किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम [illegible], परगना-बिजनौर के अर्बनाइजेबिल क्षेत्र के विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसका कृषि भूमि की सर्किल कीमत 27,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि जानी 0.0913 हेक्टेयर की मालियत रु0 2,46,510/- होती है जो कि बैनामा मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार बैनामा मूल्य पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क 60,000/- जमा किये जा रहे है।

उल्लेखित आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेतागण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता का होगा तथा अधिग्रहण विक्रेतागण या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा।

विक्रेतागण या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिकार व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई दावा/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेतागण'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक ए प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

विवरण भुगतान

1. रू0 2,85,647/- (रूपया दो लाख अट्ठावन हजार छः सौ सैंतालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या-452756 दिनांकित 26.04.2012 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेतागण ने क्रेता से वसूल पाया।

2. रू0 2,85,647/- (रूपया दो लाख अट्ठावन हजार छः सौ सैंतालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या-452757 दिनांकित 26.04.2012 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेतागण ने क्रेता से वसूल पाया।

3. रू0 2,85,647/- (रूपया दो लाख अट्ठावन हजार छः सौ सैंतालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या-[illegible] दिनांकित 26.04.2012 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेतागण ने क्रेता से वसूल पाया।

इस प्रकार रू0 8,56,941/- (रूपया आठ लाख छप्पन हजार नौ सौ इकतालिस मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से वसूल पाया जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करता है।

[illegible]

Reg. Serial No. [illegible] Year [illegible] Deed No. [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

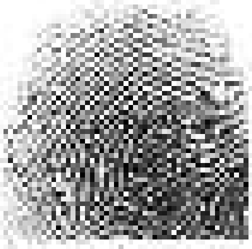

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

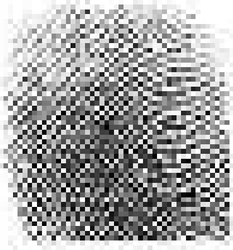

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेतागण ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या-- पर नेक संख्या काले पेन से लिखी गई है।

दिनांक 26.04.2012

लखनऊ

गवाहान:-

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

क्रेता

PAN: AAACA0000D

टाईपकर्ता:

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:

(मानवेन्द्र प्रताप सिंह)

एडवोकेट।

[illegible]

[illegible]

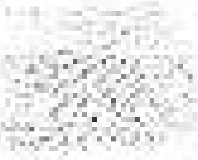

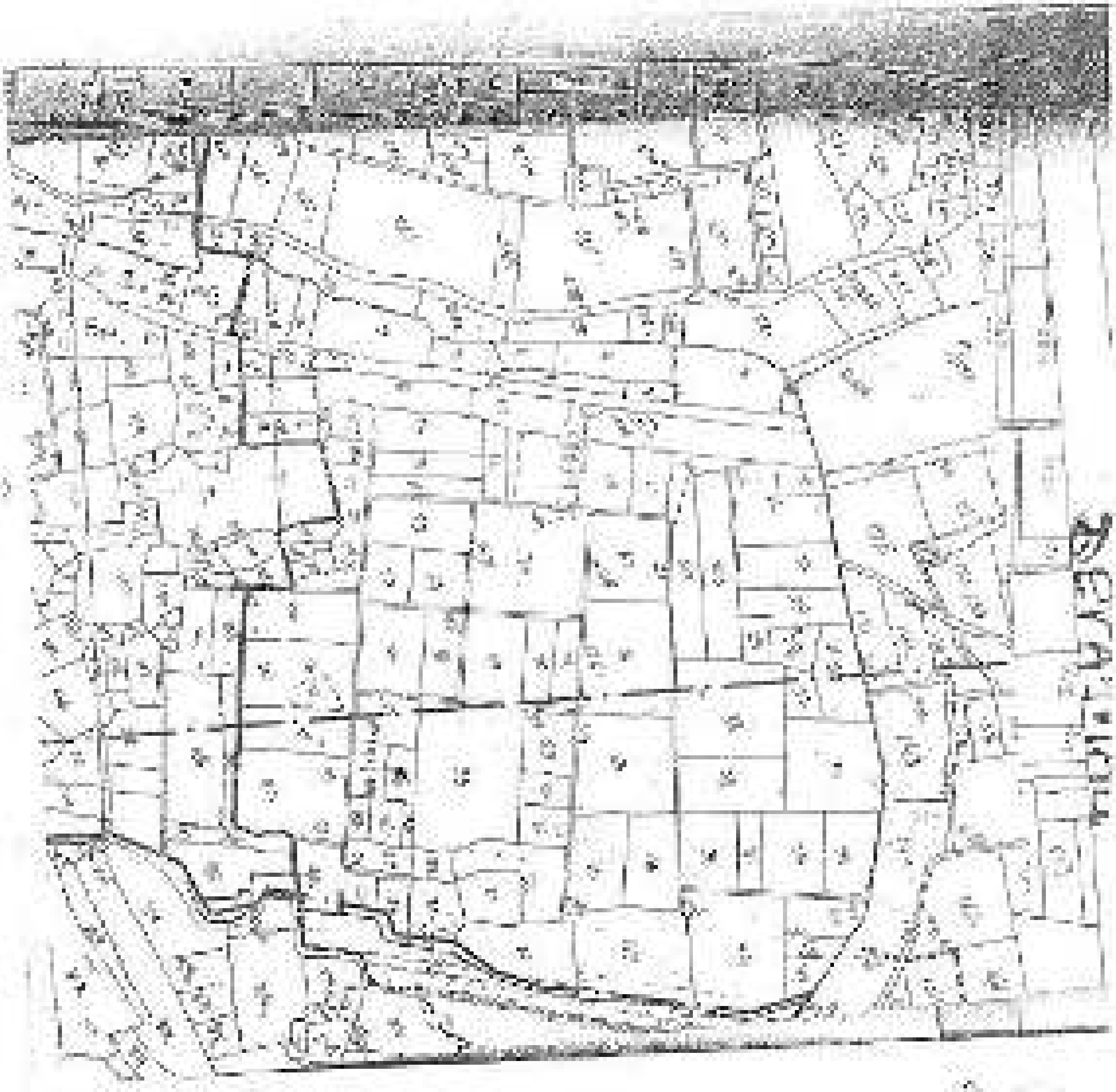

आज दिनांक 26/04/2012 को

बही सं 1 जिल्द सं 14145

पृष्ठ सं 85 से 108 पर क्रमांक 7951

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबंधक (सदर)

[illegible]

[illegible]

85/57 546811

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

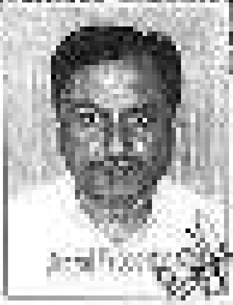

AA 025368

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	[illegible]
3.	ग्राम	:	[illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–38,
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.0664 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि

[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग/कुआँ/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 [illegible]/-
11.	मालियत	: रू0 1,18,[illegible]/-
12.	स्टाम्प	: रू0 6,[illegible]/-

19500
27-3-13
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

खसरा सं० [illegible]

पूरब	: खसरा संख्या-52
पश्चिम	: खसरा संख्या-50, 86
उत्तर	: खसरा संख्या-51
दक्षिण	: खसरा संख्या-53

[illegible]

[illegible]

[illegible]
27-6-92
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
नागेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री राम [illegible] निवासी–ग्राम [illegible] परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।		अन्सल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री [illegible] प्रताप सिंह पुत्र स्व० गंगा पाल सिंह रजिस्टर्ड आफिस–115 अन्सल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता–[illegible], [illegible] लिमिटेड, 5–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DA 543051

- 5 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री राम कली निवासी-ग्राम दैलामऊ परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० गंगा पाल सिंह रजिस्टर्ड आफिस-15 टालस्टॉय हाउस, टालस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता-तृतीय तल,

[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] 31/03/2016
[illegible]

वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के पक्ष निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता पंचवर्षीय खाता खतौनी क्रम संख्या-00068 फसली वर्ष 1414 से 1419 के कृषि भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 0.1740 मे से 0.0063 हेक्टेअर स्थित-ग्राम- बेगमऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक काश्तकार व काबिज है, जो कि विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है, तथा उपरोक्त सम्बन्धित पंचवर्षीय खाता खतौनी क्रम संख्या -00068 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है।

विक्रेता की भूमि मे 4-5 फिट गहरे गड्ढे है अतः भूमि कृषि योग्य नहीं है। भूमि पर पहुँचने का रास्ता भी नहीं है।

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अंतर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 दिनांक 28/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेता को अधिग्रहण कार्यवाही के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेता को रूपयों की तत्काल आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रही।

हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत व अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

उक्त आराजी अभी विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, रेहननामा, कुर्की, व अन्य आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब मनकह खुद विक्रेता के उसी आराजी स्वत्व उपरोक्त को कि विक्रेता का अपना सम्पूर्ण हिस्सा है को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 50,000/- (रुपया पचास हजार मात्र) में उपरोक्त क्रेता को बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि अन्दर तहरीर दस्तावेज हस्ब क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई मकबूजी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर

आराजी मस्बूअ पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व अधिकारों से निकल जाये या कब्जा न मिले या कोई विवाद, झगड़ा, भार, कर्जा व लगान आदि से बाधित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल निवेश धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के संग विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त में कृषि कार्य होता है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम देवामऊ, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के [illegible] [illegible] के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की मालियत 27,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है

[illegible]

[illegible] 1,14,000 [illegible] 1,153.00 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 28/3/2012 [illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

इलाहाबाद

28/3/2012

[illegible]

[illegible]

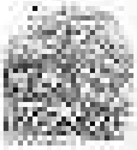

[illegible]

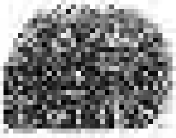

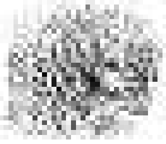

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

इलाहाबाद

28/3/2012

चूंकि विक्रीत भूमि 5 बिस्वा से कम है इसलिए प्रस्तावित दर रु0 1800/- प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रीत भूमि यानी 0.0063 हेक्टेयर यानि 63 वर्गमीटर की मालियत रु0 1,13,400/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है, अतः नियमानुसार मालियत पर नानजुडिशल स्टाम्प शुल्क 8,100/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई वाद/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

[illegible]

[illegible] [illegible] Year [illegible] Batch No.: [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

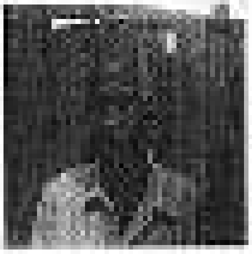

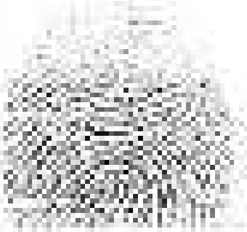

विवरण भुगतान

1. रू० 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) द्वारा चैक संख्या-[illegible] दिनांकित 27-3-[illegible] पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू० 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या-10 पर चैक संख्या काले पेन से लिखी गई है।

दिनांक:27.03.2012

लखनऊ

गवाहान:

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

PAN- AAACA0006D

टाईपकर्ता:

(राम [illegible])

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:

(सै० मुजम्मिल हसन)

एडवोकेट

[illegible]

Registration No.: 2418 Year: 2012 Book No.:

[illegible]

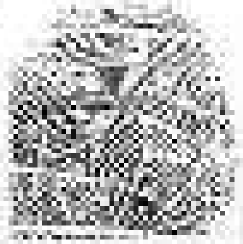

ग्राम का नाम → [illegible] गाटा संख्या → 58

तहसील →

जिला →

नक्शा नजरी

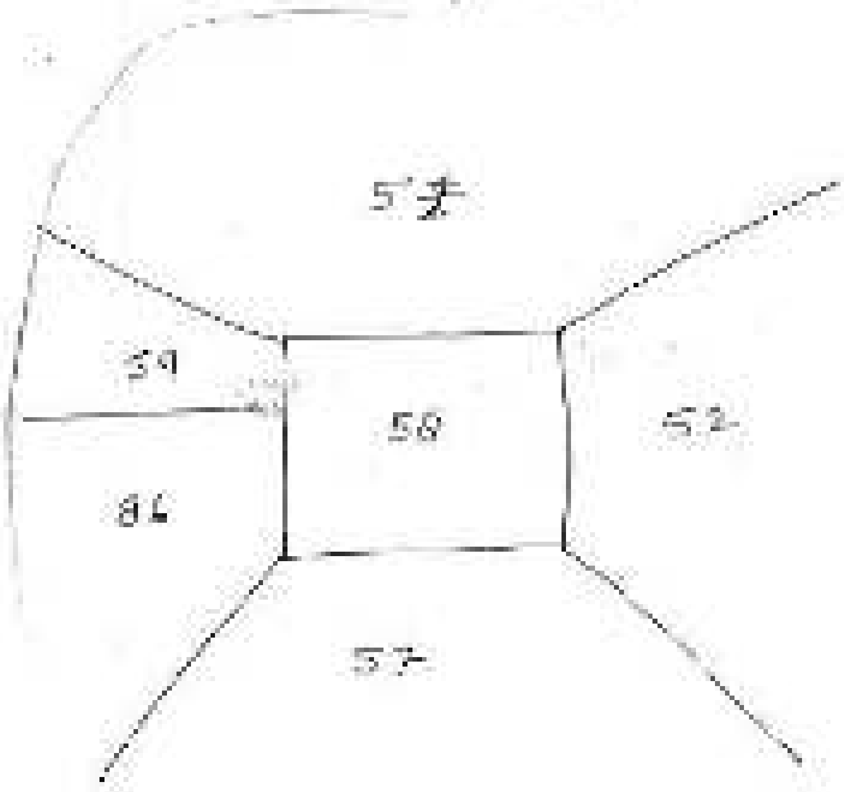

आज दिनांक 28/03/2013 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 13086

पृष्ठ सं. 299 से 320 पर क्रमांक 5468

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री [illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

28/3/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

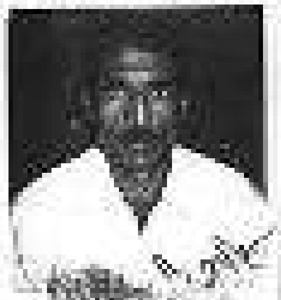
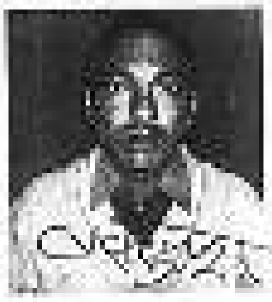

5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.095 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	2 पेड़ महुआ, 8 पेड़ खजूर, 1 पेड़ चिलबल, 1 पेड़ बेर,
9.	बोरिंग / कुआ / अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 1,75,966/–
11.	मालियत	:	रु0 1,71,625/–
12.	स्टाम्प	:	रु0 17,600/–

For [illegible] Private Limited

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

खसरा नं0 58

पूरब	:	खसरा संख्या–62
पश्चिम	:	खसरा संख्या–59
उत्तर	:	खसरा संख्या–61
दक्षिण	:	खसरा संख्या–57

प्रथम पक्ष की संख्या–03 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) राम खेलावन (2) फूली चन्द्र (3) भैदी लाल पुत्रगण		सतनाम बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा श्री विनीत

For Satnam Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 4 586601

5 DEC 2005
A.T.O/T.O.
TRY.LKO

-4-

शिवनाथ (4) कीर्तन पुत्री गेंदालाल (5) अमरनाथ पुत्र बिन्दा (6) महेश प्रसाद [illegible](7) लवकुश पुत्रगण स्व० भारत (8) श्रीमती जगदेई पत्नी स्व० भारत, निवासीगण देवामऊ परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि	श्रीवास्तव पुत्र श्री [illegible] श्रीवास्तव महाप्रबन्धक (कार्यान्वयन), कार्यालय–तृतीय तल, वाईएन०सी०ए० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ व्यवसाय–व्यापार

For Saleem Softech Private Limited

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5 DEC ... A.T.O/T.O. TRY.LKO.

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) राम खेलावन (2) बुद्धी चन्द (3) छेदी लाल पुत्रगण शिवनाथ (4) कीर्तन पुत्री मेवालाल (5) जगरनाथ पुत्र बिन्दा (6) महेश प्रसाद पुत्र (7) जयकुश पुत्रगण स्व0 भारत (8) श्रीमती जगदेई पत्नी स्व0 भारत, निवासीगण देवामऊ परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् सतनाम बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा श्री विनीत श्रीवास्तव पुत्र श्री एस0पी0 श्रीवास्तव

For Satnam Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

INDIA NON JUDICIAL

500 रु. R 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

महाप्रबन्धक (कार्यान्वयन), कार्यालय–तृतीय तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण कृषि भूमि खसरा संख्या–58 रकबा 0.114 हेक्टेयर में से अपना हिस्सा अर्थात 0.095 हेक्टेयर, स्थित ग्राम देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक कामिल व काबिज हैं जो विक्रेतागण की पैतृक सम्पत्ति है जो उन्हें वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक

For Saksam BuildTech Private Limited

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 253391

खाता खतौनी क्रम संख्या–68 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेतागण के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेतागण के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं बिक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरिये खुद विक्रेतागण के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक

For [illegible] Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, मय पैसों के बएवज मुबलिग रू0 1,75,988/– (रुपया एक लाख पचहत्तर हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र) जिसकी आधी रू0 87,994/– (रुपया सत्तासी हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) होती है सहनाम सैरामबिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा श्री विनीत श्रीवास्तव पुत्र श्री एम0पी0 श्रीवास्तव महाप्रबन्धक (कार्यान्वयन), कार्यालय–तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के हक बयई किया, और कुल विक्रय धनराशि कता तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल

For Sairam Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण से व विक्रेतागण की अन्य सम्पत्ति चल व अचल के जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेंगे, इसमें विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण को कोई आपत्ति होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल–खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम देवामऊ, परगना– बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 11,00,000/– रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है चूंकि यहाँ कम्पनी खरीदार है इसलिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त की दर से रू0 13,75,000/– की दर से विक्री भूमि 0.096

For [illegible] Private Limited

Authorised Signatory

इन्वेस्टर की मालियत रू0 1,30,826/- होती है तथा उक्त भूमि पर दो पेड़ महुआ, छः पेड़ खजूर, 1 पेड़ सिरसल, व एक पेड़ बेर का है इस प्रकार कुल 10 पेड़ है, जिनकी मालियत रू0 41,000/- होती है इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल मालियत रू0 1,71,825/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर अनवरत स्टाम्प शुल्क 17,600/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

विक्रेतागण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नही है।

विवरण भुगतान

1. विक्रेता राम खेलावन को रू0 23,341/- (रूपया तेईस हजार तीन सौ इकतालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या-136008 दिनांकित 05.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

For Sahara Buildtech ... Limited

Authorised Signatory

2. विक्रेता सुनीलचन्द्र को रू0 23,341/– (रूपया तेईस हजार तीन सौ इकतालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या–138004 दिनांकित 06.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

3. विक्रेता ऐनी लाल को रू0 23,341/– (रूपया तेईस हजार तीन सौ इकतालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या–138005 दिनांकित 06.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

4. विक्रेता कीर्तन को रू0 35,197/– (रूपया पैंतिस हजार एक सौ सत्तानबे मात्र) द्वारा चैक संख्या–138006 दिनांकित 06.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

5. विक्रेता अमरनाथ को रू0 35,198/– (रूपया पैंतिस हजार एक सौ अट्ठानबे मात्र) द्वारा चैक संख्या–138007 दिनांकित 06.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

For Selson Fieldtech Private Limited

Authorised Signatory

6. विक्रेता महेश प्रसाद को रु० 11,671/- (रुपया ग्यारह हजार छः सौ इकहत्तर मात्र) द्वारा चेक संख्या-139008 दिनांकित 05.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

7. विक्रेता लवकुश को रु० 11,671/- (रुपया ग्यारह हजार छः सौ इकहत्तर मात्र) द्वारा चेक संख्या 139009 दिनांकित 05.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

8. विक्रेता श्रीमती जगदेई को रु० 11,856/- (रुपया ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन मात्र) द्वारा चेक संख्या-139010 दिनांकित 05.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु० 1,75,988/- (रुपया एक लाख पचहत्तर हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेतागण ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता

For Salman Infratech Private Limited

Authorised Signatory

क्रेतागण के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

अतः आज समय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक: 05.12.2005

लखनऊ

गवाहान:—

1. Rajiv Kr. Yadav,
S/o [illegible]
[illegible]
[illegible]

2. (रामेश्वर [illegible])
S/o श्री [illegible]
SS-II-[illegible]
L.D.A. Colony
Kanpur Road
Lucknow

विक्रेतागण

For Saloni Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

क्रेता

टाइपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सज्जाद अन्जेर हुसैन)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:- .... [illegible] ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

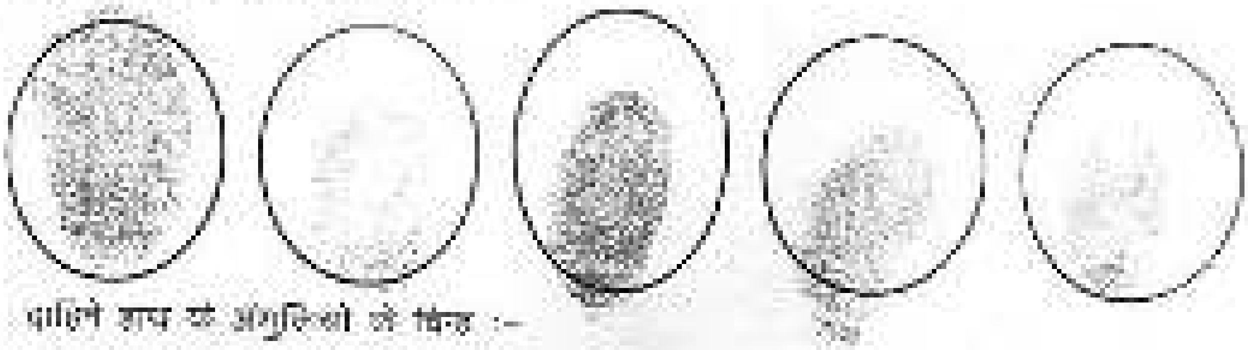

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

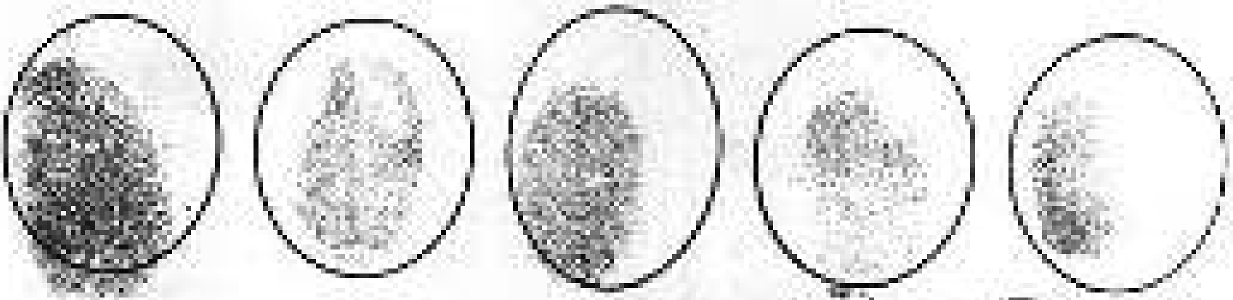

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:- .... [illegible] ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

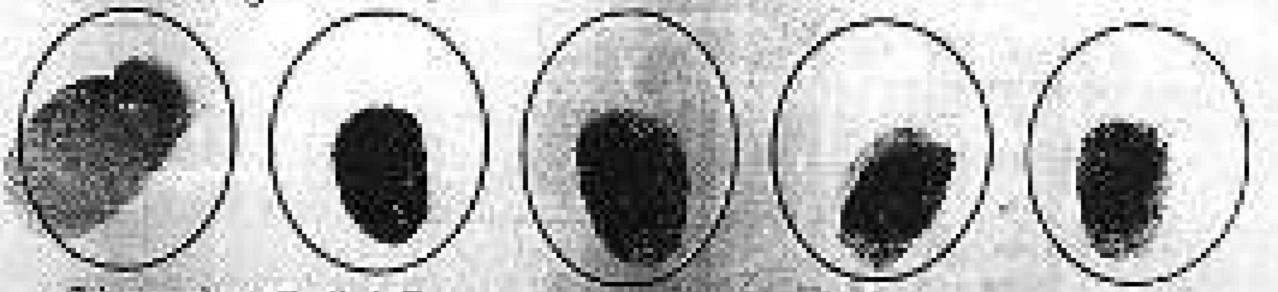

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

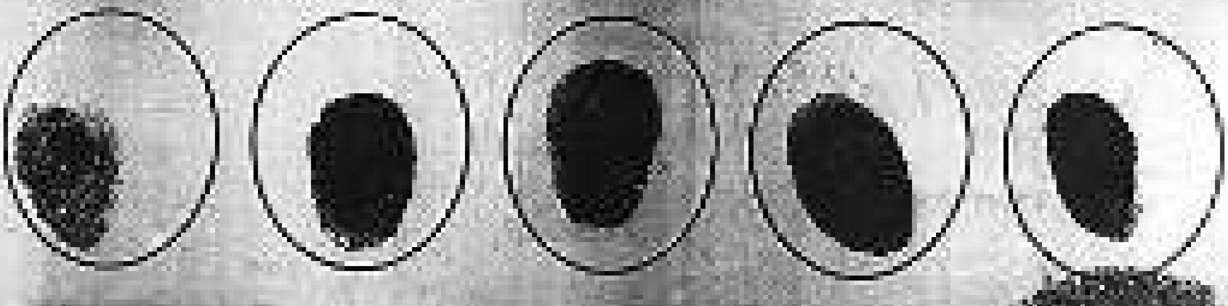

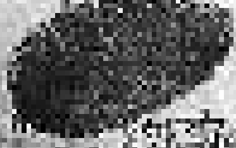

विक्रेता [illegible]

विक्रय पत्र

[illegible] 165,[illegible] 3,5,2008 [illegible] 5,550.00 2,383

प्रस्तुतकर्ता [illegible]

श्री/श्रीमती राम प्रताप

पुत्र/पत्नी श्री शिव नाथ

पेशा कृषि

निवासी [illegible] लखनऊ

[illegible]

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/12/2006 समय 2:25PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

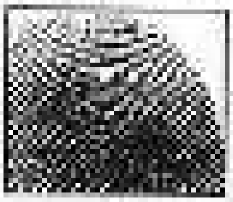

के.के. शुक्ला

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

5/12/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व [illegible] प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती राम प्रताप

पुत्र/पत्नी श्री शिव नाथ

पेशा कृषि

निवासी [illegible] लखनऊ

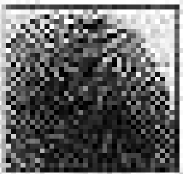

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

[illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

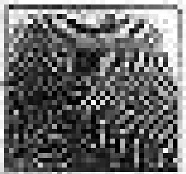

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री शिव नाथ

पेशा कृषि

निवासी [illegible] लखनऊ

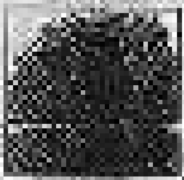

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री शिव नाथ

पेशा कृषि

निवासी [illegible] लखनऊ

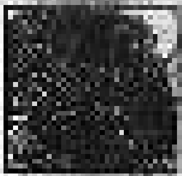

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा गृहिणी

निवासी [illegible] लखनऊ

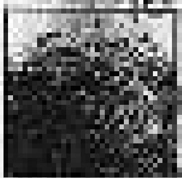

लखनऊ

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

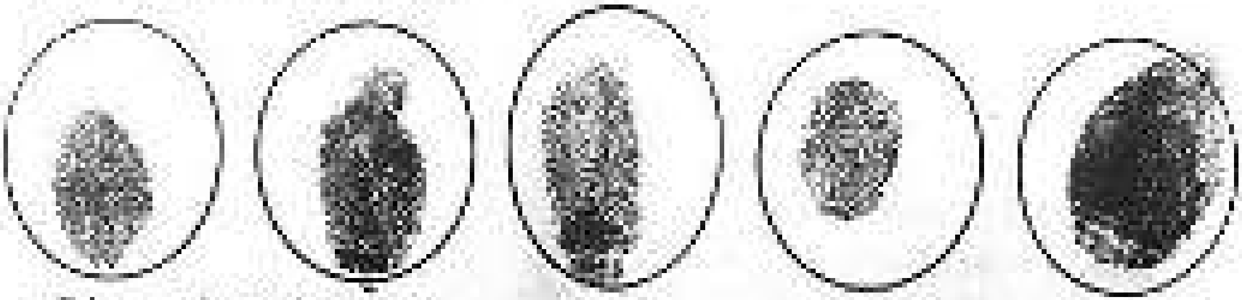

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

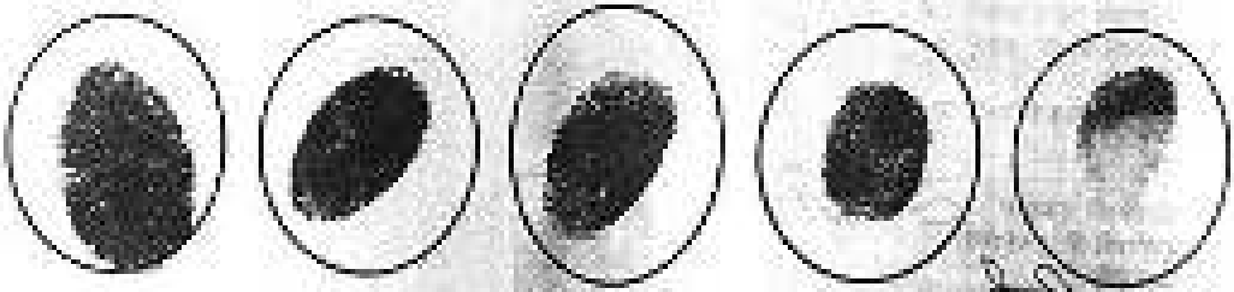

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता (ओं) के हस्ताक्षर

क्रेता / क्रेता का नाम व पता [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

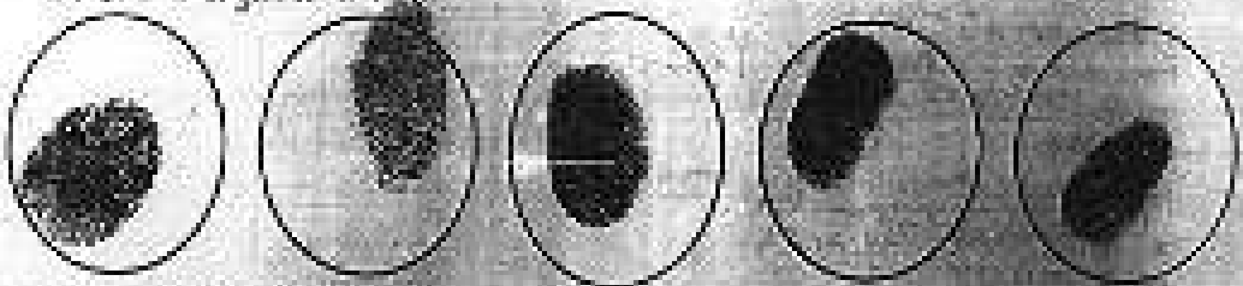

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

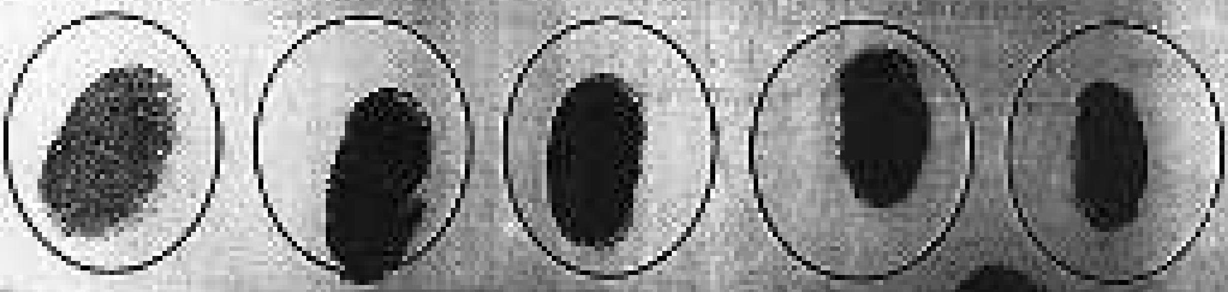

[illegible] हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती [illegible] 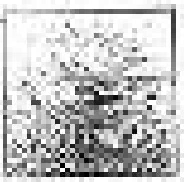
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] जिला लखनऊ

श्री/श्रीमती [illegible] 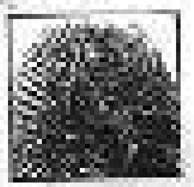
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] जिला लखनऊ

श्री/श्रीमती [illegible] 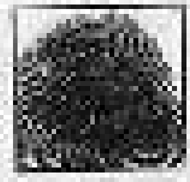
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] जिला लखनऊ

श्री/श्रीमती [illegible] 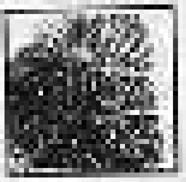
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible] जिला लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री [illegible] 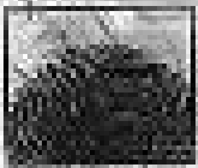
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]
व श्री [illegible] 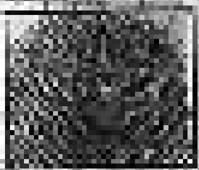
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]
ने की ।
[illegible]

के.के शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता / विक्रेता का नाम व पता: .... [illegible] ....
.... नि० [illegible] ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

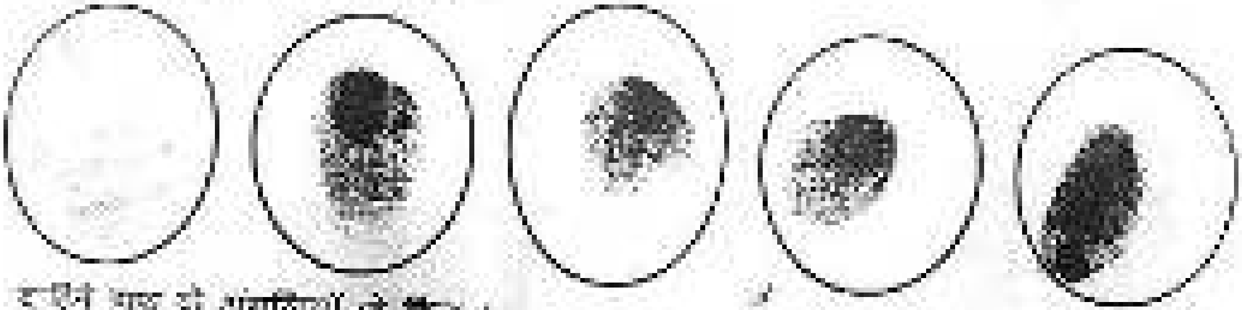

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

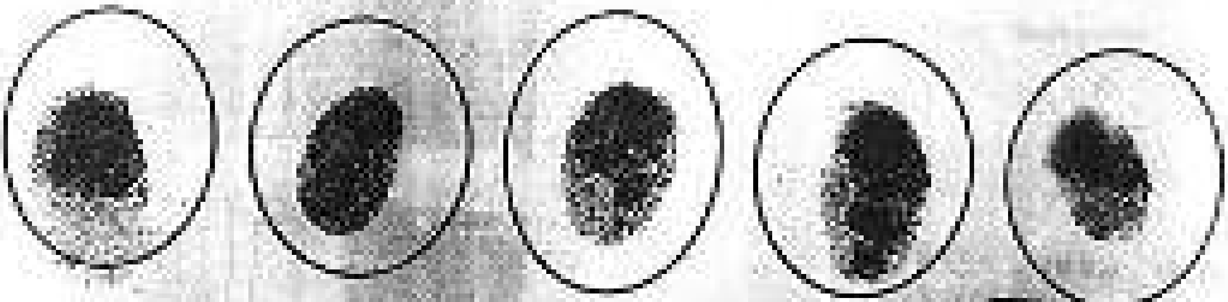

प्रस्तुतकर्ता [illegible] के हस्ताक्षर [illegible]

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:- .... सुरेश प्रसाद [illegible] ....
.... नि० [illegible] ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

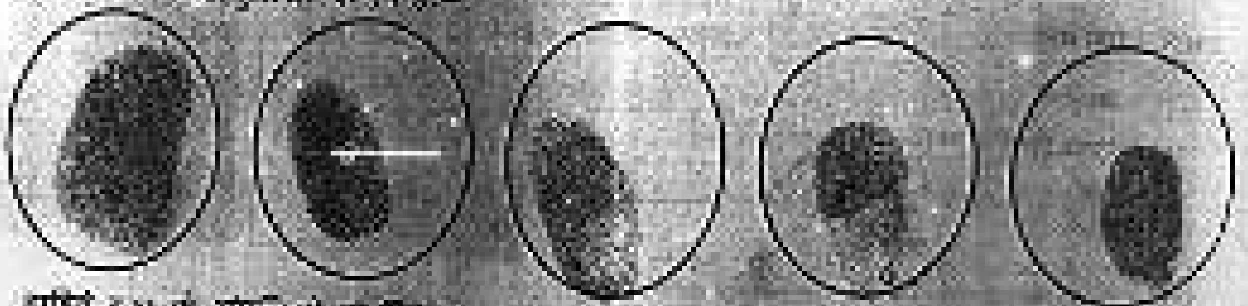

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

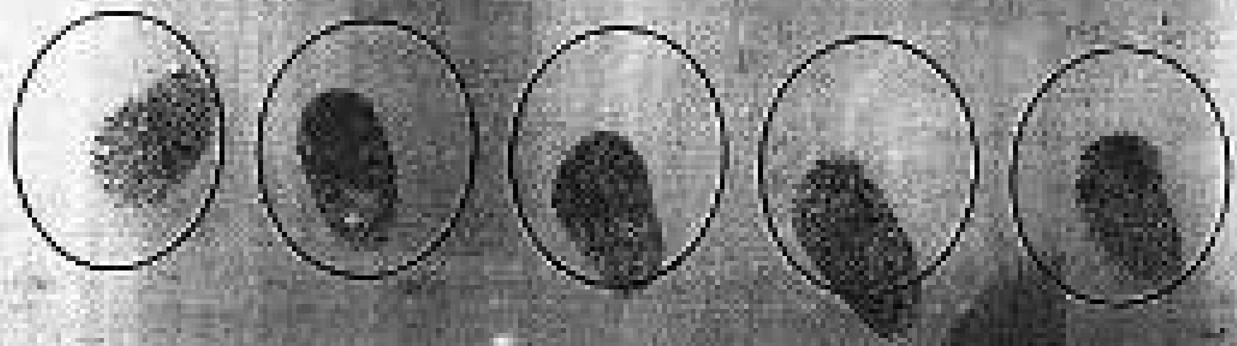

विक्रेता [illegible]

[illegible]

Registration No. [illegible]   Year : [illegible]   Book No.

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

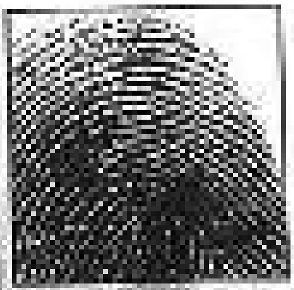

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0104 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस्

क्रेता / विक्रेता का नाम व पता– [illegible] बिल्डटैक प्रा० लि० द्वारा श्री [illegible] लखनऊ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह–

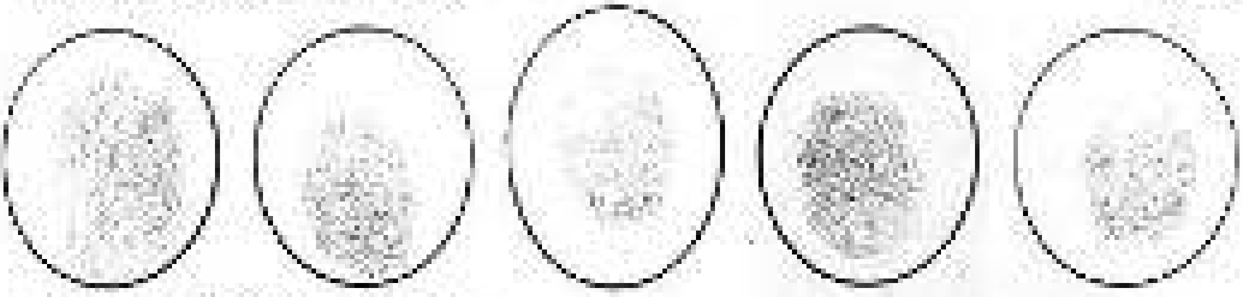

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह –

For [illegible] Private Limited

[illegible]

Authorised Signatory

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता – ....

....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह –

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No [illegible]

Year : [illegible] Book No [illegible]

0105 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0106 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0107 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0108 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता / विक्रेता का नाम व पता - लवकुश पुत्र भारत

श्री [illegible]

बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

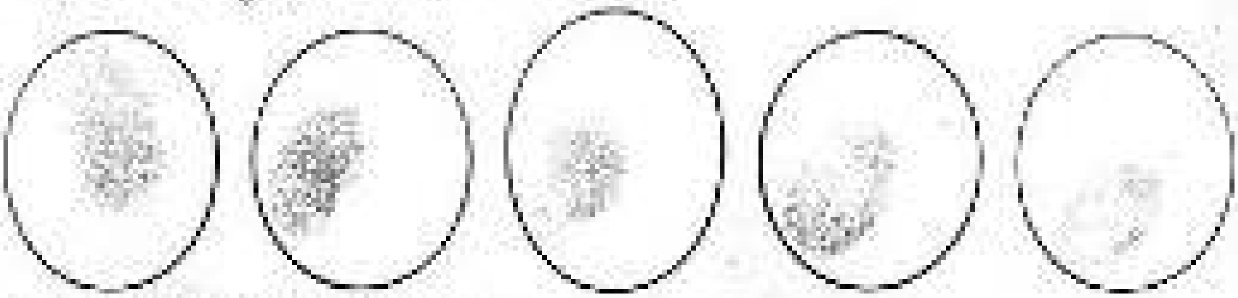

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

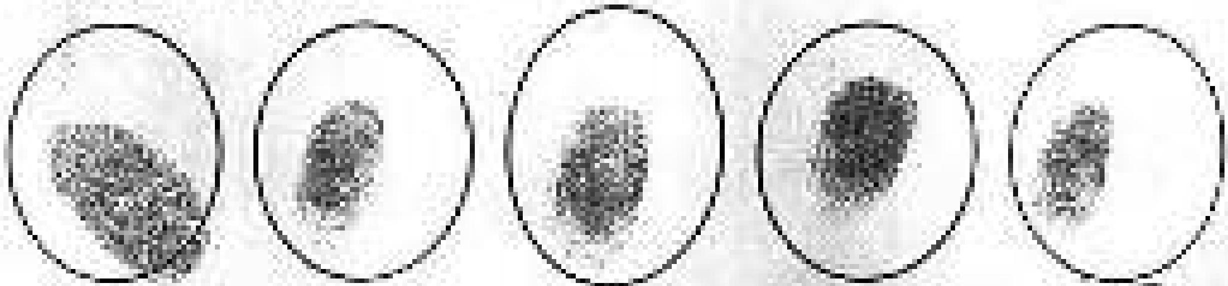

लवकुश

क्रेता/विक्रेता/साक्षी के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता - श्रीमती [illegible]

[illegible]

बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

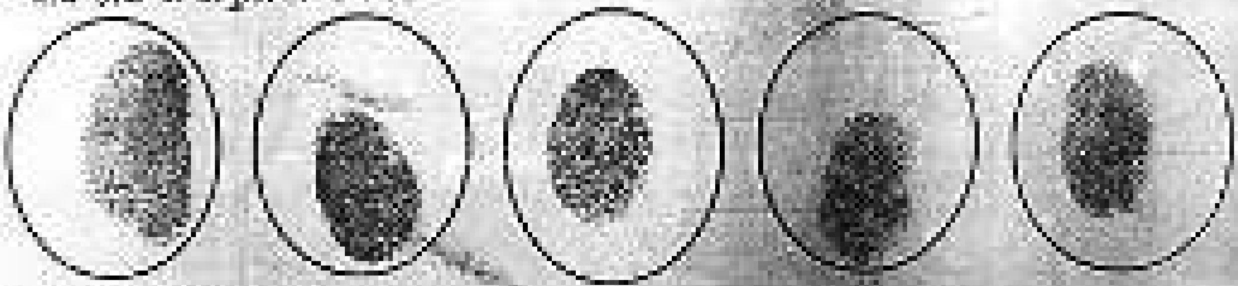

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

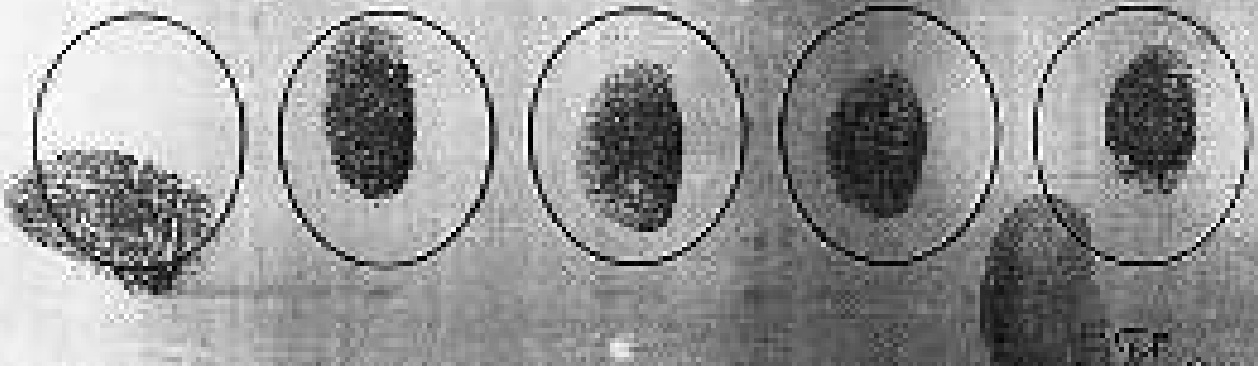

[illegible]

Registration No. [illegible] Year: [illegible] Book No. 1

[illegible] [illegible]

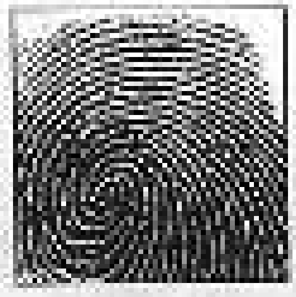

नक्शा नजरी

ग्राम : दैवामऊ

खसरा संख्या– 58

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

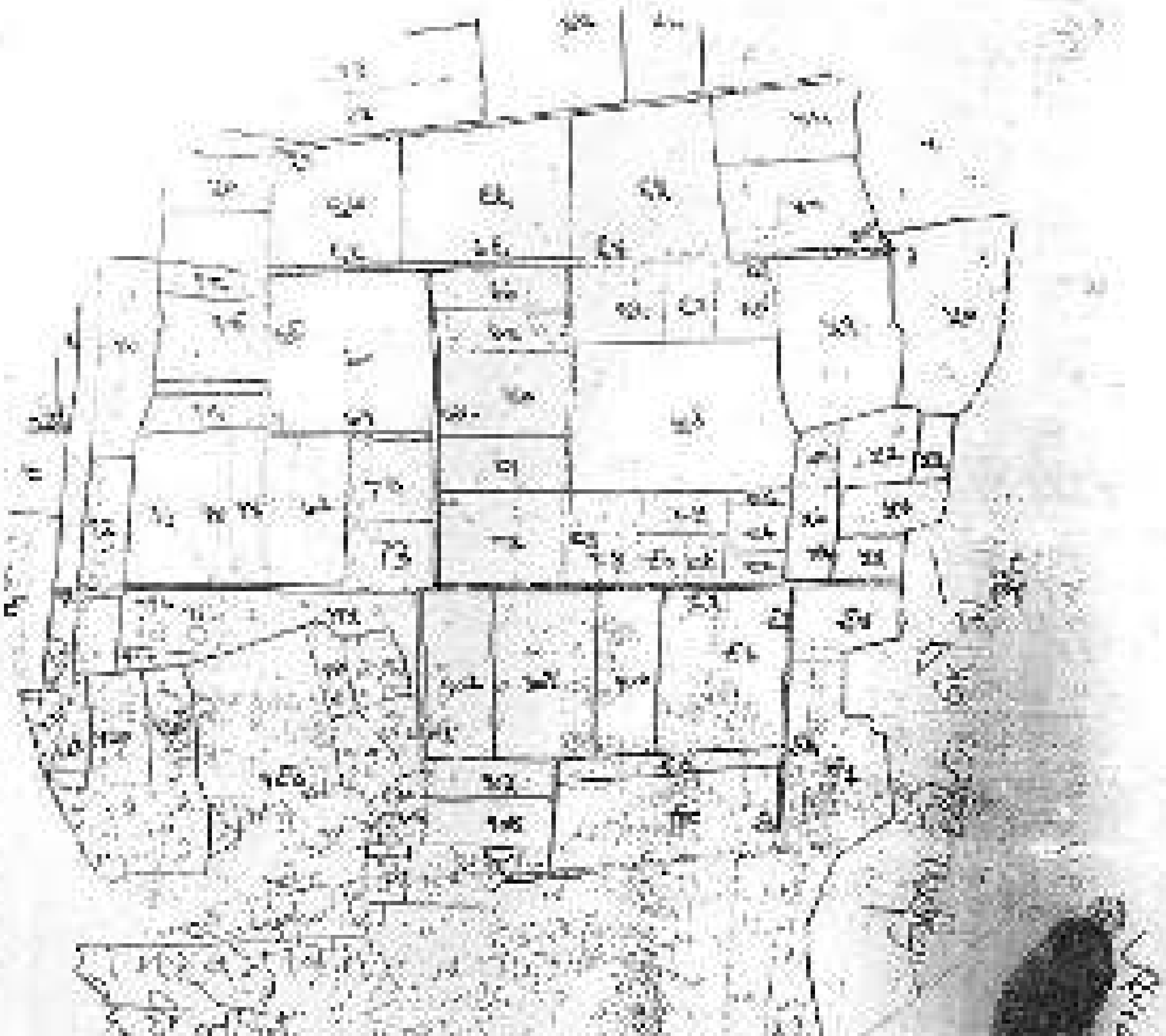

For Solaara Infratech Private Limited

Authorised Signatory

आज दिनांक 06/12/2006 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 7264

पृष्ठ सं. 315 से 352 पर क्रमांक 10360

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

6/12/2006

उद्धरण खतौनी

ग्राम का नाम : [illegible]   जनपद : [illegible]   तहसील : [illegible]
फसली वर्ष : 1414-1419   भाग : 1

खाता संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	[illegible]	[illegible]	क्षेत्रफल (हे.)	[illegible]	[illegible]	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	0.1140			

कुल योग : [illegible]   0.1140

[illegible]